न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 23 / 2020

अनवान :–

1. दुलाराम पुत्र बुधराम जाति मेधवाल (चमार) साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थीगण / सायलान

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अभिभाषक, प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : – 9/4/21

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 के प0न0 225 / 396(45) के किला न0 15 / 2 की 0.030हैक प0न0 225 / 395 (16) किला न0 16 / 0.050हैक कुल 0.0230हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करने हेतु रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 की कुल 0.0230हैक भूमि अर्थात किला न0.6 / 2 की भूमि का रास्ता के उपयोग में लेता है इसी किला से अपने खेत में आने जाने के उपयोग में ले रहा है।

प्रार्थी उक्त भूमि को अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ते के उपयोग में ले रहे है किन्तु उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करने से इन्कार कर दिया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 (16) किला न0 6 / 2 में एक एक गठठा रास्ता स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की और पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में स्वेच्छा से एक गठठा रास्ता स्वीकार करवाना चाहता है जो दिया जाता है तो ऐतराज नही है व राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 के प0न0 225 / 396(45) के किला न0 15 / 2 की 0.030हैक प0न0 225 / 395 (16) किला न0 16 / 0.050हैक कुल 0.0230हैक भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करने हेतु रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 की कुल 0.0230हैक भूमि अर्थात किला न0.6 / 2 की भूमि का रास्ता के उपयोग में लेता है इसी किला से अपने खेत में आने जाने के उपयोग में ले रहा है।

प्रार्थी उक्त भूमि को अपने खेत में आने जाने के लिये रास्ते के उपयोग में ले रहे है किन्तु उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में स्वेच्छा से दो गठठा रास्ता स्वीकार करवाना चाहता है जो दिया जाता है तो ऐतराज नही है व राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तु रिकार्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/22 के प0न0 225/396(45) के किला न0 15/2 की 0.030हैक प0न0 225/395 (16) किला न0 16/0.050हैक कुल 0.0230हैक भूमि प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 6/2 में से दो दो गठठा भूमि स्वीकृत शुद्वा रास्ता से अपनी खातेदारी भूमि आने जाने के उपयोग में ले रहा है इसलिये वह अपनी खातेदारी भूमि में स्वैच्छा से रास्ता स्वीकृत करवाकर रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

किसी भी खातेदारी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अपनी ही खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है कोई भी खातेदार काश्तकार स्वैच्छा से अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करवा सकता है।

अतः प्रार्थी स्वय अपनी खातेदारी भूमि में से स्वेच्छा से रास्ता स्वीकार करवाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18/22 के मुरब्बा नम्वर 16 के किला न0. 6/2 में से दो दो गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 01 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

1. दुलाराम पुत्र बुधराम जाति मेधवाल (चमार) साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 18 / 22 के मुरब्बा नम्वर 16 के किला न0. 6 / 2 में से दो दो गठठा रास्ता स्वीकृत किया गया है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर